

# न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 46 / 2021 तारीख दायर 17.8.21 दिनांक निर्णय 7.9.21

उनवान

2021  
97

रिपोर्ट पटवारी हल्का फिरोजपुर बनाम शकण पुत्र शेडू राम कोम  
मीना वि० रामपुरा

आज पत्रावली मु. - राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल ~~हय~~/अनु. जवाब पेश ~~किया~~/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206.2078 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल शकण पुत्र शेडू राम  
जाति मीना निवासी रामपुरा को  
आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.20 ई. किस्म चरगाह वाके ग्राम बावडी  
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.20 की 50 गुणा में मु.  
60/- कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावे।  
✓ फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावे।

N  
तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)

स. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
क पृष्ठ संख्या 14 पर च. प. 60/-  
शशि कायम किये गये। म. म. 1000/-  
त. श. लेखाकार